पत्रांक–मो0 2–सिवान (अनापत्ति)–03/2013– 535

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग।

प्रेषक,

ई0 ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),
जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,
कार्य प्रमंडल–01, सिवान।

पटना, दिनांकः– 12-03-2026

विषयः– सारण नहर प्रमंडल, महाराजगंज अन्तर्गत ढ़ेबर उपवितरणी के कि0मी0 4.33 से निःसृत मखुनीपुर माईनर के कि0मी0 2.90 से निःसृत सोनबरसा माईनर के दायां बांध पर कि0मी0 0.50 से कि0मी0 0.803 तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक 2596 दिनांक 11.11.2025

महाशय,

सारण नहर प्रमंडल, महाराजगंज अन्तर्गत ढ़ेबर उपवितरणी के कि0मी0 4.33 से निःसृत मखुनीपुर माईनर के कि0मी0 2.90 से निःसृत सोनबरसा माईनर के दायां बांध पर कि0मी0 0.50 से कि0मी0 0.803 तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य कराने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक् समीक्षोपरांत विषयक कार्य हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता हैः–

1. नहर के मूल स्वरूप यथा रूपांकित सेक्शन में किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन अथवा छेड़–छाड़ नहीं किया जाय।
2. नहर सेवापथ के मूल डिजाईन सेक्शन को यथावत् रखते हुये पी0सी0सी0 का कार्य कराया जाय।
3. नहर बाँध पर कार्य कराये जाने के कारण किसी प्रकार की क्षति होने पर उसकी मरम्मति/सुरक्षा पर होने वाले व्यय की जिम्मेवारी योजना प्राधिकार की होगी।
4. कार्य के दौरान नहर द्वारा किए जा रहे पटवन को किसी भी परिस्थिति में अवरूद्ध नहीं किया जाय।
5. निर्माण कार्य के समय नहर से संबंधित कार्यपालक अभियंता को निश्चित रूप से ससमय सूचना दी जाय ताकि नहर के रूपांकित सेक्शन आदि की जॉच आवश्यकतानुसार समय–समय पर उनके द्वारा की जा सके।
6. जल संसाधन विभाग के संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा समय–समय पर दिए गए दिशा–निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाय।
7. कार्य समाप्ति के उपरान्त स्थल से अनावश्यक सामग्रियों मलवा आदि को हटाने एवं साफ–सफाई की पूर्ण जिम्मेवारी कार्य कराने वाले प्राधिकार/विभाग की होगी।
8. उक्त निर्माण कार्य से विभागीय स्वामित्व किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होगा।

9. नहर के बाँध पर जल संसाधन विभाग के द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य तरह का कार्य कराया जा सकेगा एवं उपयोग का अधिकार जल संसाधन विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
10. नहर के Dowel Section को पूर्णरूपेण सेक्शन में स्थापित रखना होगा।
11. नहर बाँध के Formation Level को बिल्कुल Maintain रखना होगा एवं किसी भी परिस्थिति में बाँध पर पी0सी0सी का कार्य नहर बाँध के रूपांकित Formation Level के नीचे नहीं किया जायेगा।
12. नहर बाँध के Formation Level को Maintain करने के लिये आवश्यकता पड़ने पर नहर के किसी सेक्शन अथवा नहर चार्ट से मिट्टी नहीं काटा जायेगा।
13. कार्य के दौरान नहर के सेवापथ पर आवागमन को बंद नहीं किया जायेगा।
14. उपरोक्त शर्त्तों का उल्लघंन होने पर कार्य को अवैध माना जायेगा।

विश्वासभाजन

11/3/26

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांकः—मो0 2—सिवान (अनापत्ति)—03/2013— 535 /पटना, दिनांकः 12-03-2026

प्रतिलिपिः— मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सिवान/अधीक्षण अभियंता, सारण नहर अंचल, छपरा/कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, महाराजगंज को सूचनार्थ एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र में अंकित शर्तों के अनुपालनार्थ प्रेषित।

11/3/26

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांकः—मो0 2—सिवान (अनापत्ति)—03/2013 - 535 /पटना, दिनांकः 12-03-2026

प्रतिलिपिः— जिला पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/3/26

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांकः—मो0 2—सिवान (अनापत्ति)—03/2013 - 535 /पटना, दिनांकः 12-03-2026

प्रतिलिपिः— कार्यपालक अभियंता, IT Centre, WRD को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु प्रेषित।

11/3/26

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)